# <u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u> (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)

फा.सं.35-17/2017/(विविध)/आर.टी.आई.-स्था.-।

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 1 1 JUL 2019

# विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स, नई दिल्ली में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नामांकन संबंधी।

उपर्युक्त विषयक विभिन्न ज्ञापनों के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स, नई दिल्ली में विभिन्न विभागों/केन्द्रों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/संकाय सदस्यों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सहर्ष नामित किया गया है। सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर.टी.आई. मामलों के संबंध में प्रत्येक विभाग हेतु नामित अधिकारियों/संकाय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

क्र.	विभाग/अनुभाग/केन्द्र	पूर्व नामित	वर्तमान में नामित	पूर्व नामित सहायक	वर्तमान में नामित
सं.	का नाम	केन्द्रीय जन	केन्द्रीय जन सूचना	केन्द्रीय जन सूचना	प्रथम अपीलीय
		सूचना अधिकारी	अधिकारी का नाम	अधिकारी	प्राधिकारी का नाम
1	एम्स कैफेटेरिया	डॉ. वी. दारलोंग,	श्री राकेश कुमार	लागू नहीं	डॉ.एम.बाजपेयी,
		आचार्य,	शर्मा,		विभागाध्यक्ष,
		संवेदनाहरण	सदस्य-सचिव,		बाल शल्य चिकित्सा
		विज्ञान एवं	कैफेटेरिया प्रबंधन		विभाग,
		सदस्य सचिव,	समिति		पहले से मौजूद है
		कैफेटेरिया प्रबंधन			2
		समिति			
2	एन.सी.आई. झज्जर,	लागू नहीं	डॉ. ऐन्जल राजन सिंह,	लागू नहीं	डॉ. सिद्धार्थ सतपथी,
	अ.भा.आ.सं.		सहायक आचार्य,		आचार्य,
			अस्पताल प्रशासन		अस्पताल प्रशासन
3	व्यापक ग्रामीण	डॉ. सुमित	डॉ. कपिल यादव,	डॉ. राकेश कुमार,	डॉ. शशि कांत,
	स्वास्थ्य सेवा	मल्होत्रा,	सह-आचार्य	सह-आचार्य,	विभागाध्यक्ष,
	परियोजना, बल्लभगढ़	सह-आचार्य		पहले से मौजूद है	पहले से मौजूद है

इसे सक्षम प्राधिकारी, एम्स, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(लॉलेंत उराव) प्रशासनिक अधिकारी

नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

### वितरण:

- 1) सभी संबंधित अधिकारीगण।
- 2) अध्यक्ष-अस्पताल प्रबंधन बोर्ड।
- 3) चिकित्सा अधीक्षक।
- 4) सभी केन्द्र प्रमुख/विभागाध्यक्षा/अनुभाग/एकक/शाखा के अधिकारीगण।
- 5) प्रभारी संकाय, मीडिया केन्द्र।
- 6) प्रभारी आचार्य (कम्प्यूटर सुविधा), एम्स- इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
- 7) अधीक्षण अभियंता महोदय, एम्स इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नामों को एम्स आर.टी.आई. सूचना पट्ट पर मुद्रित करा दिया जाए।
- 8) निदेशक/संकायाध्यक्षा/उप-निदेशक(प्रशा.)/विरष्ठ वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- 9) सभी सूचना पट्ट।
- 10) संबंधित अधिकारियों की वैयक्तिक फाइल।
- 11) गार्ड फाइल।
- 12) अतिरिक्त प्रतियां।

### ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

(RTI CELL)

No.F.35-17/2017/(MISC)/RTI-Estt.I

Ansari Nagar, New Delhi-29. Dated: 11.07.2019

Subject: - Nomination of Central Public Information Officer & First Appellate Authority under Right to Information Act at AIIMS, New Delhi.

#### \*\*\*\*\*

In supersession of various Office Memorandums on the subject cited above. The undersigned is directed to inform that the Competent Authority is pleased to designate following Officers/Faculties as Central Public Information Officer & First Appellate Authority for various Departments/Centres, AIIMS, New Delhi under Right to information Act. The name of the designated Officer/Faculty Members for individual Departments are as under in respect of settle the RTI matter under Right to Information Act, 2005.

SI.N o	Name of the Department/ Section/Cent re.	Previous nominated CPIO	Name of the Designate Central Public Information Officer at present	Previous nominated CAPIO	Name of the Designate First Appellate Authority at present
1.	AIIMS Cafeteria	Dr. V. Darlong, Professor of Anaesthesiology & member Secretary of Cafe. Management Committee	Shri Rakesh Kumar Sharma, member Secretary of Cafe, Management Committee	N.A.	Dr. M. Bajpai, HoD Paediatric Surgery is already in exists.
2.	NCI, Jhajjar, AIIMS	N.A.	Dr. Angel Rajan Singh, Asstt. Professor, Hospital Admin	N.A.	Dr. Sidharth Satpathy, Prof. Hospital Administration.
3.	CRHSP, Ballabgarh	Dr. Sumit Malhotra, Associate Professor	Dr. Kapil Yadav, Associate Prof.	Dr. Rakesh Kumar, Asso. Prof. already in exists	Dr. Shashi Kant, HOD, is already in exists.

This issue with the approval of the competent authority AIIMS, New Delhi.

Hindi version will be follow.

(LALIT OKAON)
ADMINISTRATIVE OFFICER
NODAL CPIO

### DISTRIBUTION:

- 1) Officer concerned.
- The Chairman Hospital Management Board.
- 3) The Medical Superintendent
- 4) All the Chiefs of Centres/Head of the Deptts./Sections/Unit/Branch Officers.
- 5) The Faculty In-charge, Media Centre
- 6) Prof. In-charge (Computer Facility), AIIMS with a request to upload list of aforesaid designated Appellate Authority, Central Public Information Officer & Central Assistant Public Information Officer on the website of the Institute.
- 7) Superintending Engineer, AIIMS with the request to get printed the name of aforesaid designated Appellate Authority & Central Public Information Officer on the AIIMS RTI signboard.
- 8) The P.S. to Director/Dean/DD(A)/Sr. F.A./CAO
- 9) All Notice Boards
- 10) Personal File of Officers concerned
- The Guard File.
- 12) Spare copies.